



उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद,  
वासुक्ला एवं निधान इकाई-युद्ध  
नीलमिरी कामपलैक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ ।

दिनांक 31.5-2012

पत्रांक: 875 दि० प्र० 2011/26/ग० नि०-4/

### स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

भैरव रतन हाउसिंग डेवलपमेंट,

113/70 खकम नगर कानपुर ।

**विषय:-** गृह हाउसिंग भूखण्ड संख्या 12/GH-01 एवं 12/GH-02 वृन्दावन योजना में मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

परिषद की वृन्दावन योजना, लखनऊ के सेक्टर 12, स्थित भूखण्ड सं० 12/GH-01 एवं 12/GH-02 हैं। निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 31.5.12 से 29.5.17 तक।
3. स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अधिकतम संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. यदि उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है। तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंध अधिकारी से समयावधि प्रमाण प्राप्त कर लिया जाये।
5. एक स्वीकृति प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल 60,271.51 वर्गमी० (बैसमेंट+रिस्टल+09) तलों में से 18822.13 वर्ग मी० (बैसमेंट+रिस्टल फ्लोर) तलों में से 16851.00 वर्गमी० के भूखण्ड पर प्रदान की गयी है। बैसमेंट फ्लोर एवं रिस्टल फ्लोर में पार्किंग प्रस्तावित होने के कारण उसका क्षेत्रफल एक.ए.आर. में आगणित नहीं किया गया है। अतः पार्किंग हेतु निर्धारित स्थान में निर्माण की सुविधावता हेतु निर्माण की स्वीकृति केवल बैसमेंट एवं उसके ऊपर एक तल हेतु प्रदान की जाती है।
6. बैसमेंट एवं उसके ऊपर एक तल का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुक्रम सुविधावत किसे जाने के उपरान्त (सम्बन्धित खण्ड से प्लेट के पश्चात्) शेष निर्माण 41449.38 वर्गमी० की अनुवर्ती तलों पर स्वीकृति सक्षम स्तर से प्रदान की जा सकती। (स्वीकृत मानचित्र संलग्न है।)
7. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण इकाई-3 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व 14 दिन पहले देनी होगी।
8. भवन के निर्माण के पश्चात् तथा उपयोग से पूर्व स्थानीय मुख्य अभिनयन अधिकारी, से पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराना होगा।
9. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का हिस्से ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके।
10. आवंटी द्वारा संलग्न प्रारूप पर पूर्णतया प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा जिसके साथ अनुज्ञापित तकनीकी व्योम का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। समयावधि तत्पश्चात् निर्माण कार्य यथामानक सही पाये जाने पर ही पूर्णतया प्रमाण पत्र निर्मित किया जायेगा।
11. भैरव रतन हाउसिंग डेवलपमेंट, लि०, द्वारा स्थल (सांठुजानिक)/भूमि अधिवासरकारी भूमि का उपयोग भवन सामग्री अन्वय करने की दशा में वह मानचित्र अवमूर्त होने की तिथि से देय शून्यक तथा उस पर 15 प्रतिशत वार्षिक व्याज (अर्द्धवार्षिक चक्रवृद्धि व्याज) माग पत्र निर्मित होने की तिथि से एक माह के अन्दर परिषद खाते में एकमुश्त जमा करेगा।
12. कम से कम 200 वर्गमी० क्षेत्रफल पर एक प्लेट की दर से वृक्षांशण अनिवार्य रूप से करना होगा।
13. रेनवाटर हाउसिंग पद्धति की अनिवार्य रूप से करना होगा।
14. भूकम्परी धारा-नादेश सं० 570-9-आ-12001 (भूकम्परी / 2001 / (आ०ब०) दिनांक 3.2.2001 एवं भूकम्परी धारा-नादेश सं० 570-9-आ-12001 / (आ०ब०) दिनांक 20.7.2001 के अन्तर्गत शर्तों, सेट के एक सं० 3751/9-आ-भूकम्परी / 2001 / (आ०ब०) दिनांक 20.7.2001 के अन्तर्गत शर्तों, सेट के एक मानचित्र के प्लेट मांगी पर धरणा की गयी है। निम्नका अन्वयण करना होगा।

31/5/12

वास्तुविद नियाजक/विशेष कार्याधिकारी

4. मुख्य अभिनयमान अधिकारी, लखनऊ को प्रपत्र-व सहित ।
3. सहायक आवस आयुक्त, सम्पत्ति प्रबंध लखनऊ को शर्त सं-04 व 15 के संदर्भ में सूचनाएं एवं मलवा रखेगा ।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण इकाई-3 उ० प्र० आवस एवं विकास परिषद, लखनऊ को मानचित्रों के एक सेट सहित इस आशय से प्रेषित कि पूर्णता प्रमाण पत्र के आवेदन हेतु मानचित्र के एक सेट सहित सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
1. अधीक्षण अभियन्ता-वृत्तवर्धन वृत्त, उ० प्र० आवस एवं विकास परिषद, लखनऊ को उक्त प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्र० सं०:-

/ उक्त /

दिनांक:

वास्तुविद नियाजक/विशेष कार्याधिकारी

(अर्जित हूब)

31/5/12

1. आर्किटेक्चरल मानचित्रों का एक सेट (12 नगरीय शीट्स)
2. स्ट्रक्चरल डिजाइन्स का एक सेट (4 नगरीय शीट्स)
3. स्ट्रक्चरल व कैलकुलेशन का एक सेट ।
4. पूर्णतः प्रमाण पत्र का प्रारूप -ग ।

संलग्नक:

19. अभिनयमान अधिकारी लखनऊ के पत्रांक 1744 / एफ.एस. 12 दिनांक 16.05.12 की शर्तों का अनुपालन स्थल पर किया जाना अनिवार्य है ।
18. निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुक्रम स्थल पर किया जा रहा है ।
17. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण इकाई-3 के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत भूखण्ड पर स्थानीय मुख्य अभिनयमान अधिकारी द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित करवाया जायेगा ।
16. समग्र-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश मान्य होंगे ।
15. मानचित्र का परीक्षण नेशनल बिजिनेस कोड के मान [STRUCTURAL] प्राविधानों के अन्तर्गत करते हुए ही अनुज्ञा निर्गत की जा रही है तथा अभिनयमान/सुरक्षा सम्बंधी अन्य समस्त प्राविधानों को ध्यान में आवादी को निर्देशित करते हुए मानचित्र इस प्रतिबंध के साथ स्वीकृत किया जाता है, कि गुप्त में आवादी का निर्देशित करते हुए मानचित्र इस प्रतिबंध के साथ स्वीकृत किया जाता है, जिसके सम्बंध आवादी द्वारा भारतीय विमान पत्तन का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं किया गया है, जिसके सम्बंध उपर्युक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही 15.00 मी० से अधिक ऊँचाई का निर्माण किया जा सकेगा ।

उपरोक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही 15.00 मी० से अधिक ऊँचाई का निर्माण किया जा सकेगा ।